राजस्थान सरकार
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय
योजना भवन तिलक मार्ग,जयपुर

क्रमांकः– एफ13/1/3/आ.प्र./वीएस/डीईएस/2017/SP/10 दिनांकः 17/07/2017

परिपत्र

विषयः– जन्म–मृत्यु एवं विवाह पंजीयन एवं राजकीय योजनाओं की सेवाओं की भामाशाह प्लेटफार्म के माध्यम से प्रदायगी के लिए आधार अधिप्रमाणन करवाने अथवा आधार संख्या का प्रमाण प्रस्तुत करने के क्रम में।

आयोजना विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ17(1)/1/1/भामाशाह/डीईएस/2014 दिनांक 06.02.2017 अनुसार आधार अधिनियम, 2016 की धारा 7 के क्रम में विभिन्न जनकल्याणकारी नगद व गैर नगद लाभ की 161 योजनाओं के भामाशाह प्लेटफार्म के माध्यम से लाभ प्रदान करने हेतु आधार अधिप्रमाणन करवाने अथवा आधार संख्या का प्रमाण प्रस्तुत करने के लिये अधिसूचित किया गया है।

आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार के परिपत्र एफ17(1)/1/1/भामाशाह/डीईएस/2014 दिनांक 24.05.2017 के अनुसार आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 57 के क्रम में आधार सत्यापन तंत्र के माध्यम से अपनी पहचान सत्यापित करवाने हेतु चिन्हित सेवाओं में **''जन्म–मृत्यु एवं विवाह पंजीयन''** को भी सम्मिलित किया गया है। अतः आधार अधिप्रमाणन करवाने अथवा आधार संख्या का प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए निम्न दिशा–निर्देश जारी किये जाते हैः–

1. भामाशाह प्लेटफार्म से वितरित की जा रही सेवाओं को प्राप्त करने हेतु लाभार्थी को आधार सत्यापन तंत्र के माध्यम से अपनी पहचान सत्यापित करवानी होगी।
2. यदि किसी लाभार्थी ने आधार पंजीयन नहीं करवाया है तो उसे राज्य सरकार द्वारा स्थापित नजदीकी स्थाई आधार नामांकन केन्द्र पर जाकर आधार पंजीकरण करवाना होगा।
3. ऐसा लाभार्थी जिसके पास आधार संख्या उपलब्ध नहीं है तथा अभी आधार पंजीयन करवाया है परन्तु आधार संख्या प्राप्त नहीं हुई है तो उसके लिए विभागीय सेवा प्राप्त करने के लिए पहचान के निम्नलिखित में से कोई एक दस्तावेज के साथ आधार पंजीयन रसीद प्रस्तुत करनी होगीः–

- पासपोर्ट
- किसान क्रेडिट कार्ड पासबुक
- राशनकार्ड
- स्वतंत्रता सेनानी का फोटो कार्ड
- मतदाता पहचान पत्र
- राज्य सरकार द्वारा जारी विशेष योग्यजन का प्रमाण पत्र
- ड्राईविंग लाईसेन्स
- राज्य/केन्द्रीय शिक्षा बोर्ड का प्रमाण पत्र
- नरेगा जॉबकार्ड

लगातार.......

राज्य सरकार द्वारा विभागीय योजनाओं में सेवा प्रदायगी हेतु आधार अधिप्रमाणन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये है। अतः उक्त दिशा–निर्देशों की पूर्ति हेतु निम्न कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें:–

1. जन्म का प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु दिये जाने वाले आवेदन पत्र में बालक/बालिका के माता/पिता का आधार नम्बर लिया जावे एवं आवेदक का आधार नम्बर लिया जावे अथवा आधार अधिप्रमाणन कराया जावें।
2. मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु दिये जाने वाले आवेदन पत्र में मृतक का आधार नम्बर (यदि उपलब्ध हो), मृतक के पति/पत्नी/माता/पिता (जैसा लागू हो) एवं आवेदक का आधार नम्बर लिया जावे अथवा आधार अधिप्रमाणन कराया जावे।
3. विवाह प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदक तथा वर एवं वधू का आधार नम्बर लिया जावे अथवा आधार अधिप्रमाणन कराया जावे।

(डॉ.ओम प्रकाश बैरवा)
मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) एवं
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः– एफ13/1/3/आ.प्र./वीएस/डीईएस/2017/SP1/10 दिनांकः 17/07/2017

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. वरिष्ठ उप शासन सचिव, मुख्य सचिव, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर को पत्र क्रमांक एफ 17(1)/1/1/भामाशाह/डीईएस/2014 दिनांक 24.05.2017 के क्रम में सूचनार्थ।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयोजना व सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग को उनके पत्र क्रमांक एफ17(1)/1/1/भामाशाह/डीईएस/2014 दिनांक 24.05.2017 के क्रम में सूचनार्थ।
3. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायतीराज, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) एवं जिला कलक्टर, जिला..............................
7. जिला रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) एवं उप/सहायक निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, जिला..
8. अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) एवं विकास अधिकारी, पंचायत समिति........... जिला ....
9. ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, पंचायत समिति.................. जिला ....
10. रक्षित पत्रावली।

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव